


168



169

**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला-रीवा म०प्र०**

श्री रमेश लोधीया एड-व्या
पेशा 19-9-14

प्रकरण क्रमांक-...../14

जस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R-3516-1114

रामदरस प्रजापति पिता स्व० श्री बैजनाथ प्रजापति उम्र
लगभग 45 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-नाउनकला,
तहसील व थाना हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०

566

19-9-14

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- काशीनाथ प्रजापति पिता स्व० श्री बैजनाथ प्रजापति उम्र
लगभग 55 वर्ष, पेशा-खेती,
- 2- श्यामकली पत्नी स्व० राघौ प्रसाद उम्र 50 साल,
पेशा-खेती,
- 3- विनोद प्रजापति पिता स्व० श्री राघव प्रसाद वर्मा उम्र
लगभग 30 वर्ष, पेशा-खेती,
- 4- अरुण प्रजापति पिता स्व० श्री राघव प्रसाद वर्मा उम्र
लगभग 28 वर्ष, पेशा-खेती,
चारो निवासी ग्राम, पोस्ट-नाउन कला, थाना व
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०
- 5- मोतीलाल प्रजापति पिता स्व० श्री जवान प्रजापति उम्र
लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम-चक कोटार,
तहसील-लालगंज, जिला-मिर्जापुर, उ०प्र०
- 6- राजेश वर्मा तनय श्री चित्रसेन वर्मा उम्र 32 वर्ष,
पेशा-वकालत एवं खेती,
- 7- राकेश वर्मा पिता श्री चित्रसेन वर्मा उम्र 30 वर्ष,
पेशा-खेती, निवासी 15/90 समान, कोरियान मोहल्ला
संजय नगर रीवा, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र०

अनावेदक/रिस्पाडेन्टगण


निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार
महोदय तहसील हनुमना, जिला
रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3516-III/14

जिला-रीवा

रामदत्त प्रजापति / काशीनाथ प्रजापति

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार कययी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

h